बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–01/स्था0 (आरोप)–04/2017 8046 /न0वि0एवंआ0वि0। विधान परिषद द्वारा दिनांक–06.03.17 के लिए प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना में नगर पंचायत, बखरी (बेगूसराय) में सी0सी0टी0वी0 कैमरा आपूर्ति सह अधिष्ठापन एवं अन्य सामग्री, हाईमास्ट लाईट, स्ट्रीट लाईट, जे0सी0वी0 ट्रैक्टर, चलंत शौचालय, फौंगिग मशीन एल0ई0डी0 लाईट क्रय में अनियमितता एवं जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय के पत्रांक–447 दिनांक–17.05.16 को नजर अंदाज कर संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता से कार्य कराने का ध्यानकृष्ट किया गया।

उक्त ध्यानार्षण के आलोक में जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से विभागीय पत्रांक–1219 दिनांक–20.02.17 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी के पत्रांक–147 दिनांक–28.02.17 द्वारा इस संबंध में पूर्व में उप विकास आयुक्त, बेगूसराय से कराये गये जांच प्रतिवेदन को प्रेषित किया गया।

उक्त जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि नगर पंचायत, बखरी में क्रय की गई सामग्रियों में वित्तीय नियमों का उल्लंघन, सरकारी राशि का दुरूपयोग, व्यक्तिगत लाभ हेतु जरूरत से ज्यादा संख्या में सामग्रियों का क्रय किया जाना, आवंटन से पहले ही उस मद में सामग्री हेतु निविदा आमंत्रित/प्रकाशित किया जाना, विभाग द्वारा भेजे गये कर्णांकित राशि को एक ही मद में व्यय किया जाना, तुलनात्मक विवरणी पर क्रय समिति का हस्ताक्षर नहीं होना, विभाग द्वारा निर्धारित मद से अलग मद में राशि का व्यय किया जाना तथा निविदा के शर्त्तों के विपरित एजेंसी/संवेदकों का चयन करना एवं पूर्ण रूपेण सरकारी/वित्तीय नियमों के उल्लंघन का मामला बनता है, इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बखरी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गई है।

ध्यानाकर्षण में अंकित दूसरा तथ्य कि जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय के पत्रांक–447 दिनांक–17.05.16 द्वारा स्पष्ट निदेश के बावजूद भी संविदा पर कार्यरत कनीय अभियंता से कार्य कराया गया है, के संबंध में विभागीय पत्रांक–1503 दिनांक–03.03.17 द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से प्रतिवेदन की मांग की गयी, जिसके क्रम में जिला पदाधिकारी के पत्रांक–188 दिनांक–04.03.17 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि उठाया गया मामला सही है तथा नगर पंचायत, बखरी द्वारा जिला शहरी विकास अभिकरण के निदेशों का उल्लंघन कर संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता से कार्यों का निष्पादन कराया गया है।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री अरविन्द पासवान, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बखरी से विभागीय पत्रांक–1504 दिनांक–03.03.17, पत्रांक–2013 दिनांक–16.03.17 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में श्री पासवान द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री पासवान से प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा उनके स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए नगर पंचायत, बखरी में सामग्री के क्रय एवं अधिष्ठापन में अनियमितता के लिए उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4783 दिनांक–20.07.17 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया।

श्री अरविन्द पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन अपर सचिव–सह–संचालन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–25/AS दिनांक–16.03.18 द्वारा समर्पित किया गया, जिसमें श्री अरविन्द पासवान, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बखरी के विरूद्ध सामग्रियों के क्रय में प्रक्रिया का पालन नहीं करने, वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने तथा सरकारी राशि का दुरूपयोग करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक–1943 दिनांक–04.04.2018 एवं 2537 दिनांक–07.05.2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री पासवान से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गई। श्री पासवान द्वारा दिनांक–12.05.2018 को द्वितीय कारण–पृच्छा समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने अपने पदस्थापन काल में सामग्रियों का क्रय सशक्त स्थायी समिति एवं बोर्ड के निर्णय के आलोक में किया था।

आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं श्री पासवान द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई समीक्षा में श्री अरविन्द पासवान (बि0न0से0), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बखरी सम्प्रति परियोजना पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर सामग्री क्रय करने, सामग्रियों के क्रय में प्रक्रिया का पालन नहीं करने एवं सरकारी राशि का दुरूपयोग करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री पासवान के द्वितीय कारण–पृच्छा दिनांक–12.05.2018 को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत प्रमाणित गंभीर प्रकृति के आरोपों के लिए चार वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

उपर्युक्त विनिश्चित दण्ड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–4292 दिनांक–08.08.18 पत्रांक–5623 दिनांक–01.11.18 एवं पत्रांक–6735 दिनांक–27.12.2018 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मांग की गयी।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–3585 दिनांक–28.03.19 द्वारा प्रस्तावित दण्ड पर सहमति संसूचित की गयी है।

श्री पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिए गये निर्णय एवं प्रस्तावित दण्ड पर बिहार बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री अरविन्द पासवान (बि0न0से0), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बखरी सम्प्रति परियोजना पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत **चार वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से** अवरूद्ध करने का दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

श्री पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–

(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (आरोप)–04/2017 8046 /न0वि0आ0वि0, पटना/दिनांक– 16.4.19

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/श्री अरविन्द पासवान, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बखरी सम्प्रति परियोजना पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना /संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–3585 दिनांक–28.03.19 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।